

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-67/2019 3047 /पटना, दिनांक-16/7/19
प्रेषक,

मो0 सोहैल, मा0प्र0से0
अपर सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी)

बिहार, पटना।

विषय:- वित्तीय वर्ष 2019-20 में मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथ के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

महाशय,

निदेशानुसार मांग संख्या-37 अन्तर्गत मुख्य शीर्ष 3054-सड़क तथा सेतु उपमुख्य शीर्ष 04 जिला अन्य सड़के, लघु शीर्ष 105 रख रखाव तथा मरम्मत, उप शीर्ष 0001 ग्राम सड़क अन्य रख रखाव व्यय के 0001.27.02 सड़क अनुरक्षण ईकाई मद के अधीन निम्नलिखित सारणी में अंकित पथों के लिये उनके सामने में अंकित लम्बाई एवं राशि के लिये पथवार प्रशासनिक स्वीकृति दी जाती है।

क्र० सं०	कार्य प्रमंडल	प्रखंड	पथ का नाम	लम्बाई (कि०मी०)	मूल कार्य की राशि (लाख में)	पंचवर्षीय अनुरक्षण की राशि (लाख में)	आकस्मिकता की राशि (लाख में)	कुल राशि (लाख में)
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SUPOUL	SUPOUL	Amha To Supaul Sima	3.016	64.450	30.040	6.445	100.935
2	SUPOUL	SUPOUL	Sukhpur To Koshi Bandh	4.882	125.350	47.240	12.535	185.125
3	SUPOUL	SUPOUL	Karanpur To Chhapkahi Road	3.8	143.680	38.030	14.368	196.078
4	SUPOUL	SUPOUL	Supaul Saharsa S.H. Road (Thama Chowk) To Parsarma Bakaur PWD Road via Sukhpur Kalapatti and Sihe	5.11	110.160	50.960	11.016	172.136
5	SUPOUL	SUPOUL	Supaul To Mahua Bela Road	3.97	86.720	39.300	8.672	134.692
6	SUPOUL	SUPOUL	Surtipatti PWD Road To Koshi Bandh via Mahua Yadav Tola	4.9	107.510	48.950	10.751	167.211
7	SUPOUL	NIRMLI	Kamalpur To Kanauli	4.1	147.780	34.500	14.778	197.058
8	SUPOUL	NIRMLI	Hariyahi Village To Nirmali Ghera Bandh via Mahua	4.40000	139.170	44.480	13.917	197.567
9	SUPOUL	NIRMLI	Theho To Tilyuga Via Rajpur	1.704	56.800	17.140	5.680	79.620
10	SUPOUL	KISHANPUR	Tarbitiya To Parsa Madhao Tola	3.075	71.290	30.190	7.129	108.609
11	SUPOUL	KISHANPUR	Chauatta PWD Road To Kadampura Railway Station Halt	4.94	114.890	47.780	11.489	174.159
Total				43.897				1713.190

2. कार्यपालक अभियंता, कार्य प्रमंडल, सुपौल योजनाओं के कार्य सम्पादन हेतु निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी होंगे। नियंत्री एवं व्ययन पदाधिकारी का उत्तरदायित्व होगा कि कार्यों का विशिष्टताओं/विशिष्टि के अनुरूप कामाचिन्न करारकर एकरारनामा एवं सुसंगत वित्तीय प्रावधानों के पालन उपरान्त पूर्णतः संतुष्ट होकर ही राशि की निकासी एवं व्ययन करेंगे। किसी प्रकार की अनियमितता के लिए निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी (कार्यपालक अभियंता) पूर्णतः जिम्मेवार होंगे।

Shuman

3. बिहार ग्रामीण पथ अनुरक्षण नीति-2018 के तहत MBD आश्रित ई-निविदा के माध्यम से आमंत्रित कार्य का सम्पादन संबंधित कार्य कार्यपालक अभियंता द्वारा कराया जायेगा।
4. इन योजनाओं के चयन के प्रस्ताव पर माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग पटना का अनुमोदन संचिका संख्या- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-64/2019 में दिनांक 01.06.2019 को प्राप्त है।
5. सारणी में अंकित उक्त योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति के प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार सचिव महोदय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना द्वारा दिनांक-09.07.2019 को संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-67/2019 में अनुमोदन प्राप्त है।
6. योजनाओं के कार्यान्वयन के पूर्व डी0पी0आर0 पर कार्यपालक अभियंता द्वारा सक्षम प्राधिकार से प्रावैधिक स्वीकृति प्राप्त की जायेगी।
7. योजनाओं की तकनीकी स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्रम में प्रावधानित प्रत्येक मद की संभाव्यता की जाँच सक्षम प्राधिकार द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।
8. एकरारनामा के पूर्व कार्यपालक अभियंता यह सुनिश्चित कर लेंगे की सूची में वर्णित कोई भी योजना किसी अन्य अनुरक्षण कार्यक्रम से अच्छादित नहीं हो।
9. संबंधित योजना U/SRI कैटेगरी के अन्तर्गत चिन्हित नहीं हो। यदि चिन्हित हो तो निर्धारित प्रक्रियानुसार सभी आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के उपरान्त ही योजना कार्यान्वित की जाय।
10. बिहार कोषागार संहिता में निहित प्रावधानों के आलोक में बजट प्रावधान के अन्तर्गत निधि की उपलब्धता के आधार पर ब्राडा के निर्धारित प्रावधान/प्रक्रिया के आलोक में राशि की निकासी की जायेगी।
11. वित्त विभाग के संकल्प सं0-3758 दिनांक 31.05.2017 में निहित निदेशों को अक्षरशः पालन किया जायेगा तथा बिहार वित्त नियमावली के सुसंगत प्रावधानों के आलोक में योजना में उपबंधित राशि की उपलब्धता के आधार पर व्यय की जायेगी।
12. यह राशि उसी मद में खर्च की जायेगी, जिसके लिए पुर्नविनियोजित की गयी है, अन्य मद में नहीं।
13. प्राक्कलन की विशिष्टताओं के अनुसार निर्धारित समयावधि के अन्दर कार्य पूर्ण कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
14. संबंधित कार्यपालक अभियंता द्वारा योजनाओं के वित्तीय एवं भौतिक प्रतिवेदन प्रत्येक माह की 5 तारीख तक ऑन लाइन प्रविष्टि कराते हुए अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता के माध्यम से विभाग को निश्चित रूप से उपलब्ध कराएंगे।
15. योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में इनका निर्धारित निरीक्षण, सरकार से निर्गत आदेशों में प्रावधानित सक्षम नियंत्री पदाधिकारियों द्वारा नियमित अन्तराल पर अनिवार्य रूप से किया जायेगा एवं कार्यों को स-समय तथा गुणवत्ता पूर्वक सम्पन्न कराना सुनिश्चित कराया जायेगा। योजनाओं के कार्यान्वयन में अनियमितता की स्थिति में दोषी पदाधिकारी उत्तरदायी माने जाएंगे।
16. स्वीकृत्यादेश प्रारूप आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति से निर्गत किया जा रहा है। आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-मु0अ0-4 (मु0)-3054 04-67/2019 के पृ0-13/टि0 पर दिनांक-15/7/19 को प्राप्त है।

विश्वासभाजन

(मो0 सोहैली)

अपर सचिव

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-67/2019 3034 /पटना, दिनांक- /2019 16/7/19
प्रतिलिपि-कोषागार पदाधिकारी, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

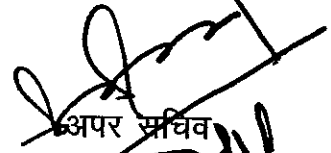
J. Kumar

अपर सचिव

पत्रांक- मु0अ0-4 (मु0)-3054-04-67/2019 3047 /पटना, दिनांक- 16/7/19

प्रतिलिपि-माननीय मंत्री, ग्रामीण कार्य विभाग के आप्त सचिव/सचिव, योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (आय-व्यय शाखा)/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, ग्रामीण कार्य विभाग/प्रमंडलीय आयुक्त, सहरसा /जिला पदाधिकारी, सुपौल/उप विकास आयुक्त, सुपौल /अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/अवर सचिव बजट शाखा, ग्रामीण कार्य विभाग/मुख्य अभियंता-2 एवं 4, पटना ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य अंचल, मधेपुरा /कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य प्रमंडल, सुपौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित एवं आई0टी0 नोडल पदाधिकारी को MIS में अपलोड करने हेतु एवं आई0टी0 मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

J. Kumar


अपर सचिव
16/7/19